आवेदन क्र. 213/19 आशा कंवर बनाम NHAI

पत्रावली पेष हुई।

उभय पक्ष अधिवक्ता उप0।

प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त मे कथन इस प्रकार है कि एक वाद विप्रार्थीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता हेतु विधि के ठोस आधारों पर प्रस्तुत किया है। जिसके अवलोकन मात्र से प्रार्थीनी का वाद प्रथम दृष्टया साबित है एवं सफलता मिलने की पूर्ण आषा है। विप्रार्थीगण के श्रमिक बलपूर्वक प्रार्थीनी की खातेदारी की जोत खसरा नम्बर 3534/673 रकबा 129.17 बीघा मौजा पांचला, पटवार क्षेत्र सुन्दरा, तह0 गडरारोड़ की भूमि में बिना भूमि आवप्ति के वादीनी के खातेदारी अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि के मध्य में सडक का निर्माण कार्य करना चाहते है। जबकि उक्त सडक भारतमाला योजना के अन्तर्गत प्रभावित खातेदारान की भूमि को आवप्ती की प्रकिया के बाद आवप्त भूमि पर सडक बनाई जाना स्वीकृत हुआ है। जिसको विप्रार्थीगण बिना आवप्ती प्रक्रिया अपनाये बिना भूमि आवप्त किये एवं बिना भूमि का मुआवजा दिये जबरन प्रार्थीनी के खातेदारी खेत के मध्य मे बनाने हेतु प्रयासरत है। जिसका विप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है और अगर विप्रार्थीगण ऐसा करने मे कामयाब हो गए तो प्रार्थीनी को भविष्य में न पुरी हो सकने वाली अपुरर्णीय क्षति होगी अपितु प्रार्थीनी के दावे का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। चूंकि वाद के निर्णित होने मे समय लगने की सम्भावंना है तथा विप्रार्थीगण के श्रमिक प्रार्थीनी को क्षति पहुचाने पर उतारू है। उन्हे वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी के मौके की यथास्थिति रखे जाने हेतु पांबद करना आवष्यक है।

प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गये व विप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से वकील श्री राजेष विष्नोई ने वकालतनामा मय जवाब आवेदन प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 के जवाब का संक्षिप्त सार इस प्रकर है कि विप्रार्थी एन.एच.ए.आई. द्वारा प्रार्थी के खातेदारी खेत में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। विप्रार्थी द्वारा पूर्व में अवाप्त सुदा भूमि पर ही सडक निर्माण कार्य भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश की सीमा सुरक्षा हेतु निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, एन.एच.ए.आई. के पास उक्त भूमि भारत सरकार के ग्रीफ विभाग द्वारा 36 मीटर चौडी सडक के रूप मे सुपुर्द की गई थी तथा वर्तमान मे विप्रार्थी द्वारा पूर्व मे ग्रीफ द्वारा निर्मित सडक पर ही 36 मीटर मे चौडाईकरण का कार्य किया जा रहा है। विप्रार्थी द्वारा पूर्व द्वारा बीआरओ द्वारा निर्मित सडक सीमा में ही वर्तमान मे सडक निर्माण करवाया जा रहा है, किसी भी रूप मे प्रार्थीनी की भूमि पर गलत रूप से अतिकमण कर निर्माण कार्य नही करवाया जा रहा है। इस प्रकार देष की पष्चिम सीमा को सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए सडक निर्माण का कार्य भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। जिस कारण सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया मामला व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीनी के बजाय विप्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र सारहीन व मनगढत होने से सव्यय खारीज फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने बहस मे प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि चूंकि वाद के निर्णित होने मे समय लगने की सम्भावना है तथा विप्रार्थीगण के श्रमिक प्रार्थीनी को क्षति पहुचाने पर उतारू है। उन्हे वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी के मौके की यथास्थिति रखे जाने हेतु पांबद करना आवष्यक है।

इस के विपरीत विप्रार्थी संख्या 1 की बहस है कि सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया मामला व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीनी के बजाय विप्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र सारहीन व मनगढत होने से सव्यय खारीज फरमाया जावें।

"धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्न प्रकार है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथपत्र या अन्य प्रकार से यह सिद्व हो जाये कि:–

(क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे मे उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्संबद्व किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने **(alienated)** के खतरे में है, या

(ख) उक्त वाद या कार्यवाही से संबंद्व कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्य को सफल नहीं होने देने के अभिप्राय से उस संपत्ति को हटाने या उसका व्ययन **(disposal)** करने की धमकी देता है या विचार रखता है, तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है.....

अस्थायी व्यादेश जारी करने हेतु निम्नलिखित तीनो शर्तो का पूर्ण होना आवश्यक है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। परन्तु एन. एच.आई. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार एन.एच.आई. ने वर्तमान रोड़ एवं 36.06 मीटर चौडा राईट ऑफ वे बी.आर.ओ. से सूपूर्दगी में लिया था। विप्रार्थी द्वारा पूर्व मे जो सडक निर्मित है उसकी सडक सीमा मे ही निर्माण करवाया जा रहा है। अतः प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है।
2. सुविधा का संतुलन :– विप्रार्थी ने बीआरओ से 36.06 मीटर चौडी सडक सुपुर्दगी में प्राप्त की है और वर्तमान निर्माण भी देश की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए भारत माला प्रोजेक्ट के तहत करवाया जा रहा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होता है।
3. अपूर्णीय क्षति :– प्रार्थीगण का कहना है कि उनकी भूमि को बिना अवाप्त किये निर्माण करवाया जा रहा है। विप्रार्थी का कहना है कि यह सडक 36.06 मीटर चौडी

सहायक कलक्टर (SDO), शिव

Scanned by CamScanner

उन्हे बीआरओ ने सुपुर्द की है और वह इसकी सडक सीमा में ही कार्य कर रहे है। यदि यह सिद्व हो जाता है कि विप्रार्थी बिना आवाप्ति किये सडक का निर्माण कर रहे है तो प्रार्थी नियमानुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुआवज़ा प्राप्त कर सकते है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष मे सिद्व नही होता है।

लिहाजा प्रार्थी के पक्ष में एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 के तहत पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:52:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: